

बिहार सरकार
कृषि विभाग,

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-20/2013-200(आवंटन)/कृ०, पटना, दिनांक 10-12-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय : जैविक फल एवं सब्जी के विपणन के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी०पी०आर०) तैयार करने हेतु ₹8.81352 लाख (आठ लाख एकासी हजार तीन सौ बावन रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹8,81,352 (आठ लाख एकासी हजार तीन सौ बावन रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-5839 दिनांक-27.11.2013 द्वारा जैविक फल एवं सब्जी के विपणन के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी०पी०आर०) तैयार करने हेतु ₹8.81352 लाख (आठ लाख एकासी हजार तीन सौ बावन रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹8,81,352 (आठ लाख एकासी हजार तीन सौ बावन रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹8,81,352 (आठ लाख एकासी हजार तीन सौ बावन रु०) मात्र की राशि का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-105-खाद तथा उर्वरक-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0106-जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड-P2401001050106, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5035, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि 21396.01 लाख रुपये से विकलनीय होगा।


3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० (2) दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाज्य,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 200 (आवृत्त) /कृ0, पटना, दिनांक 10-12-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 200 (आवृत्त) /कृ0, पटना, दिनांक 10-12-2013

प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, (पी0 पी0 एम0),/निदेशक, उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण, /निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/ निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।